पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

योगेंद्र पंडित

बनाम

रीता दास

2018 की विविध अपील संख्या 671

07 अगस्त, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या विद्वान पारिवारिक न्यायालय का अस्वीकृति आदेश सही है या नहीं?

2. क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 9-वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना-अपीलार्थी का विवाह प्रतिवादी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार मंदिर में दोनों पक्षों के माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था।-विवाह के बाद, प्रतिवादी आठ महीने तक अपीलार्थी के साथ रही।-अपीलार्थी ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन दायर किया।-इसके जवाब में, प्रतिवादी ने कहा कि उसने अपीलार्थी के साथ कभी भी किसी भी तरह से, चाहे वह धार्मिक हो या कानूनी, विवाह नहीं किया।-अपीलार्थी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर की गई पूर्व याचिका खारिज कर दी गई थी।

निर्णय: विवाह प्रमाणपत्र पंडित द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उक्त पंडित को अपीलकर्ता द्वारा अपने विवाह को साबित करने के लिए गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है—

पी.डब्लू. 3, जो विवाह में उपस्थित होने का दावा करता है, ने भी अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि वह उस पंडित को नहीं जानता जिसने विवाह प्रमाणपत्र जारी किया है—विवाह प्रमाणपत्र पर संगठन का कोई नंबर नहीं है और न ही किसी गवाह ने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं—अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए दोनों गवाहों यानी पी.डब्लू. 2 और 3 ने यह साबित नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ विवाह किया है—अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई प्रासंगिक और विश्वसनीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि उसने प्रतिवादी के साथ कानूनी रूप से विवाह किया है—आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है—विद्वान परिवार न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दायर याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है—अपील खारिज।

(पैराग्राफ 18, 20, 22, 23)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना; विवाह; विवाह प्रमाण पत्र; नोटरी; मंदिर।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 844/2013 (सी.आई.एस.)/पुराना वाद संख्या टी.एस. (मैट) 69/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2018 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं हेतु : श्री अब्दुल मन्नान खान, अधिवक्ता; श्री हाफ़िज़ शाहबाज़ आरिफ, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं हेतु : श्री

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील संख्या 671

==========

योगेंद्र पंडित, पिता- बाबू लाल पंडित, निवासी-ग्राम- सीता कुंड डिह कल्याणचक, डाकघर- दरियापुर, थाना- मुफस्सिल, जिला- मुंगेर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

रीता दास, पति- योगेंद्र पंडित, पिता- स्वर्गीय बजरंगी दास, निवासी-मोहल्ला- नयागांव, कब्रिस्तान रोड, डी.एस.पी. के निवास के पास, डाकघर- जमालपुर, थाना- ईस्ट कॉलोनी, जमालपुर, जिला-मुंगेर।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं हेतु : श्री अब्दुल मन्नान खान, अधिवक्ता

श्री हाफ़िज़ शाहबाज़ आरिफ, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं हेतु : श्री

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

दिनांक : 07-08-2025

पक्षो को सुना।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मुंगेर द्वारा दिनांक 01.06.2018 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है। वैवाहिक वाद सं. 844/2013 (सी.आई.एस.)/पुराना मामला सं. टी.एस. (मैट.) 69/2013, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर किया गया था। जिसके अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता-पति की ओर से उत्तरदाता-पत्नी के साथ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर वैवाहिक मुकदमे को खारिज कर दिया है।

3. परिवार न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार अपीलकर्ता का वाद यह है कि अपीलकर्ता का विवाह दोनों पक्षों के माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था। विवाह के उपरांत, दोनों पक्षों ने व्यवहार न्यायालय, परिसर में नोटरी के समक्ष शपथ पत्र दिया क्योंकि दोनों पक्षों के बीच विवाह आदर्श विवाह था। अपीलकर्ता व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता था जबकि उत्तरदाता भारतीय स्टेट बैंक में काम कर रही थी। विवाह के बाद, उत्तरदाता अपने वैवाहिक घर आयी और अपीलकर्ता के साथ रहने लगी और लगभग आठ महीने तक उसके वैवाहिक घर में रही। इसके बाद दिनांक 01.05.2006 को, उत्तरदाता सभी सामान के साथ अपने *मैके* इस बहाने गयी कि उसे अपने वैवाहिक घर से अपने काम पर उपस्थित होने में कठिनाई हो रही है। अपीलकर्ता अपने न्यायालय के कार्य से मुक्त होने के बाद उत्तरदाता के *मैके* जाया करता था। अपीलकर्ता का आगे का मामला यह है कि जब भी उसने उत्तरदाता को उसके वैवाहिक घर वापस लाने की कोशिश की, तो उत्तरदाता ने उसकी

नौकरी के बहाने मना कर दिया। पक्षों के बीच अंतिम सहवास 30.06.2010 को हुआ था और उसके बाद, उत्तरदाता ने बिना किसी उचित कारण के अपीलकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया और उसे यह कहना शुरू कर दिया कि वह बैंक में एक अधिकारी है जबकि अपीलकर्ता अधिवक्ता है, इसलिए, वह उसके साथ नहीं रह सकती है और उसे अपने घर नहीं आने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। अंततः, अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वैवाहिक वाद सं. 10/2011 दायर किया है जिसे 29.10.2011 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के बाद, अपीलकर्ता फिर से उत्तरदाता के *मैके* गया और उससे अपने वैवाहिक घर वापस लाने और उसके साथ रहने का अनुरोध किया, परंतु, उसने मना कर दिया और उसे बताया कि उसने देवनायक मिश्रा उर्फ देवनायक दास के साथ दूसरी शादी कर ली है और वह उसके साथ रहना चाहती है। इसलिए, वर्तमान वैवाहिक वाद वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना हेतु दायर किया गया है।

4. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में उत्तरदाता-पत्नी उपस्थित हुई और अपना जवाब/लिखित बयान दायर किया।

5. अपने लिखित बयान में, उत्तरदाता-पत्नी ने कहा है कि उपरोक्त याचिका में बताए गए अधिकांश तथ्य और आरोप झूठे और निराधार हैं और वाद विधिक रुप में या तथ्यों के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है। उत्तरदाता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कभी भी अपीलकर्ता के साथ किसी भी तरह से धार्मिक या विधिक रूप से शादी नहीं की। यह आगे कहा गया है कि इससे पहले भी अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। उत्तरदाता ने पहले ही देवनायक मिश्रा उर्फ महांत देवनायक दास से शादी कर ली है और दोनों खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के पास वैवाहिक अधिकार

की पुनर्स्थापना का कोई डिक्री प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता की ओर से दायर किया गया दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत है और चूंकि अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच किसी भी विवाह का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वैवाहिक अधिकारों पुनर्स्थापना हेतु प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

6. वाद के समापन के उपरांत, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता ने अपने दावे को प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन दायर किसी भी राहत का हकदार नहीं था।

7. इसके बाद, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री गलत है और विवेकपूर्ण उपयोग के बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया प्रतीत होता है। विद्वान परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री पर विचार नहीं किया है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर याचिका को आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया है। विद्वान परिवार न्यायालय ने भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि पहली शादी के निर्वाह के दौरान, उत्तरदाता ने फिर से देवनायक मिश्रा उर्फ महंत देवनायक दास से विवाह किया है जो *प्रारम्भ से ही अमान्य और शून्य है*।

9. *इसके विपरीत,* उत्तरदाता-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विवादित निर्णय और डिक्री न्यायसंगत, कानूनी और विधि के अनुसार है। विद्वत विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की उचित सराहना की है और अपीलकर्ता-पति की ओर से दायर वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

10. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैंः.

(i) क्या अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का विवादित निर्णय, कानून की दृष्टि में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

11. वाद के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से कुल तीन गवाहों से पूछताछ की गई है जो अ.सा. 1 योगेंद्र पंडित (स्वयं अपीलार्थी), अ.सा. 2 सिखदेव यादव और अ.सा.-3 उपेंद्र प्रसाद हैं।

12. अपीलकर्ता ने निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अभिलेख में लाया है।

प्रदर्श-1 श्री 108 महाबीर मंदिर, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र

प्रदर्श-2 नोटरी, मुंगेर के समक्ष योगेंद्र पंडित का शपथ पत्र

प्रदर्श-2/1 नोटरी, मुंगेर के समक्ष रीता दास का शपथ-पत्र ।

प्रदर्श-3 जी.आर. सं. 1260/2003 में देव नारायण दास की पत्नी रीता दास नायक का बयान

प्रदर्श-4- जी. आर. वाद संख्या 1260/2013 में अधिवक्ता उदय प्रकाश, योगेंद्र पंडित के पक्ष में रीता दास द्वारा 04.08.2005 को वकालतनामा निष्पादित किया गया।

13. उत्तरदाता ने हालांकि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु निम्नलिखित दस्तावेजों को अभिलेख में लाया हैः.

प्रदर्श ए- शिकायत वाद सं. 369 सी/2010 में पुजारी मुरली धर मिश्रा द्वारा दायर आवेदन की छाया प्रति।

प्रदर्श बी- स्वत्व वाद (मैट) सं.- 10/2011(योगेंद्र पंडित बनाम रीता दास) में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर के न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2012 को पारित आदेश की प्रति।

जिसके अनुसार उपरोक्त वाद को आदेश VII नियम 11 (ए) दी.प्र.सं. के तहत खारिज कर दिया गया था।

प्रदर्श सी (आपत्ति के साथ)- उप निरीक्षक. इरफान अहमद, तेघरा ओ.पी. के द्वारा दिनांक 11.06.1996 को दर्ज किए गए कुलदिप गोस्वामी के फरदबेयान की छाया प्रति, जिसके आधार पर खड़गपुर थाना सं. 1996 का 153 दिनांक 11.06.1996 भा.दं.वि. की धारा - 302, 120(बी), 34 के अधीन दर्ज किया गया था।

प्रदर्श डी (आपत्ति के साथ)- रीता दास द्वारा दिनांक 09.07.2016 एस.पी. मुंगेर के समक्ष दायर याचिका ।

14. अ.सा. 1 योगेंद्र पंडित (अपीलकर्ता) के साक्ष्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि हालाँकि उन्होंने उसी बात को दोहराया है जैसा कि उनकी याचिका में कहा गया था, कि उन्होंने अपनी शादी को पंजीकृत नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श-1 में किसी भी संगठन की कोई पंजीकरण संख्या दर्ज नहीं की गई है और न ही प्रदर्श-1 में किसी गवाह का कोई नाम या हस्ताक्षर दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वह मानहानि के एक मामले में उत्तरदाता द्वारा दायर एक वाद में जमानत पर हैं।

15. अ.सा. 2 सुखदेव यादव ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच विवाह को संपन्न होते देखा है। लेकिन अपनी प्रति-परीक्षण में, उसने यह बयान दिया है कि वह उत्तरदाता को नहीं जानता था और न ही वह उन रिश्तेदारों के बारे में कह सकता है जो विवाह में शामिल हुए थे।

16. अ.सा. 3 उपेंद्र प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि वह विवाह के समय प्रस्तुत थे और उन्होंने पंडित मुरलीधर मिश्रा द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की पहचान की है, परंतु अपनी प्रति-परीक्षण में उन्होंने यह बयान दिया है कि वह किसी भी पंडित मुरलीधर मिश्रा को नहीं जानते हैं।

17. अब, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के साथ विवाह किया है क्योंकि उत्तरदाता का दावा है कि उसने अपीलकर्ता के साथ कभी विवाह नहीं किया।

18. अपीलार्थी ने विवाह प्रमाणपत्र (प्रदर्श 1) को अभिलेख पर लाया है जिसमें दिखाया गया है कि उसकी शादी रीता दास के साथ श्री 108 महावीर मंदिर, व्यवहार न्यायालय मुंगेर में 17.09.2005 को संपन्न हुई थी और विवाह प्रमाण पत्र पंडित मुरलीधर मिश्रा द्वारा जारी किया गया था, लेकिन कहा कि पंडित मुरलीधर मिश्रा को अपीलकर्ता द्वारा अपने विवाह को साबित करने के लिए गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है। अ.सा. 3, जो शादी में शामिल होने का दावा करता है, ने अपनी प्रति-परीक्षण में यह भी कहा है कि वह मुरलीधर मिश्रा जिन्होंने विवाह प्रमाण पत्र जारी किया है को नहीं जानता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता का दावा है कि विवाह के बाद दोनों पक्षों ने नोटरी पब्लिक, मुंगेर के समक्ष 17.09.2005 को शपथ पत्र दिया, लेकिन कहा कि प्रमाण पत्र में किसी समुह की कोई संख्या नहीं है और न ही किसी गवाह ने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों गवाह अर्थात अ.सा. 2 और 3 ने यह साबित नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के साथ विवाह किया है।

19. उत्तरदाता ने शिकायत वाद सं. 369 सी/2010 में पंडित मुरलीधर मिश्रा द्वारा लिखे गए आवेदन को अभिलेख में लाया है जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता के पक्ष में कोई भी विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से पूरी तरह से इनकार किया है, बल्कि उनका दावा है कि उन्होंने अपीलकर्ता के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने के समय विरोध किया था।

20. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई प्रासंगिक और विश्वसनीय सबूत अभिलेख पर नहीं लाया है कि उसने उत्तरदाता के साथ विधिक रूप से विवाह किया है।

21. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की विधि के समक्ष भरोसेमंद नहीं प्रतीत होते हैं। किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी कोई घोषणात्मक डिक्री भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि विरोधी पक्ष/उत्तरदाता विधिक रूप से अपीलकर्ता के साथ विवाहित है।

22. तदनुसार, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो विवादित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देता है। पारिवारिक न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

23. विवादित निर्णय की पुष्टि करते हुए, वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।